



58

न्यायालय धीमान अर्ज / जदव महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0
रेडींग प्र0क्र0 /17-18

III निगरानी प्र0क्र0/अर्ज/2017/6352

- 1- पूरनीसंह पुत्र शैतुतीसंह धाकड़
- 2- जानकीबाल पुत्र शैतुतीसंह धाकड़
- 3- मरिआबाई पतिन गनपतीसंह धाकड़
- 4- भगतानीसंह पुत्र गनपतीसंह धाकड़
- 5- मनमोहन पुत्र गनपतीसंह धाकड़
- 6- रामेश्वर पुत्र गनपतीसंह धाकड़
- 7- सागर पुत्र गनपतीसंह धाकड़
- 8- वृणेश पुत्र गनपतीसंह धाकड़
- 9- कृष्णाबाई पुत्री गनपतीसंह धाकड़

समस्त निवासी गण ग्राम भिंरा तह0 व जिला गुना ----- आवेदक गण
/ निगरानी कर्ता गण

श्री. चयन चव्वाला अर्ज
द्वारा आज दि. 28.12.17 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक सर्क हेतु
दिनांक 2.1.18 नियत।

28-12-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विचारित

- 1- मरियमबती पतिन अब्दुल सलीम धाकड़ मुसलमान
- 2- कययूम पुत्र अब्दुल सलीम धाकड़ मुसलमान
- 3- हनफि पुत्र अब्दुल सलीम धाकड़ मुसलमान
- 4- लतीफ पुत्र अब्दुल सलीम धाकड़ मुसलमान
- 5- कदीम पुत्र अब्दुल सलीम धाकड़ मुसलमान
- 6- जाकिर पुत्र अब्दुल सलीम धाकड़ मुसलमान
- 7- सायराबाई पुत्री अब्दुल सलीम धाकड़ मुसलमान

समस्त निवासी गण जिला गुना तह0 व जिला गुना
म0प्र0 शासन ----- आवेदक गण/प्रीत0 निग
कर्ता

28/12/17

28-12-17

शाखा प्रबन्धी (रा.मं.)
राजस्व महाविभाग, ग्वालियर

3

निगरानी आवेदनपत्रे धारा 50 म0प्र0 मू0रा0 की तहत
अंतर्गत। माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय
के न्यायालय के प्र0क्र0 01/पुनर्विलोकन/2017-18 में
पारित आदेश दिनांक 7/11/17 के विरुद्ध।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक- तीन/निग./गुना/भू.रा./2017/6352
पूरन सिंह आदि विरूध मरियमवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला गुना के प्रकरण क्रमांक 01/पुनर्विलोकन/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 7/11/2017 के विरूध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला गुना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11/7/19 को कलेक्टर जिला गुना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p>17/5/19</p>